विश्वविद्यालय से अंक पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र, उपाधि, नामांकन संख्या, प्रव्रजन प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने एवं परिनिरीक्षण हेतु सामान्य जानकारी।

1. अंकतालिका में सुधार हेतुः–

(अ) अंकतालिका में सुधार हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध करायी जानी है :–

(अ) छात्र का नाम (ब) पिता का नाम (स) कक्षा (द) परीक्षा वर्ष (य) अनुक्रमांक (र) परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय का नाम

(ब) अंकतालिका में किसी भी प्रकार के सुधार हेतु संस्थागत छात्र अपना प्रार्थनापत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित एवं वांछित सुधार को सत्यापित कराकर प्रस्तुत करेंगे।

(स) व्यक्तिगत छात्र अपेक्षित सुधार हेतु वांछित प्रमाणपत्र के साथ अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियाँ आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे।

(द) अंकतालिका में परीक्षार्थी एवं पिता के नाम में संशोधन/सुधार हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रार्थनापत्र के साथ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के सत्यापित प्रमाणपत्रों तथा प्रवेशपत्र की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। नियमानुसार नाम में सुधार हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रमाणपत्र में अंकित नाम के आधार पर ही किया जाएगा।

(य) पूर्व वर्षो की अंकतालिकाओं की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय कोष में रू0 300/– जमा कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें।

(र) मूल अंकपत्र खो जाने पर विश्वविद्यालय कोष में रू0 20/– जमा कर शुल्क रसीद संलग्न करते हुए अनुक्रमांक जानने हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में अभ्यर्थी को परीक्षा का वर्ष एवं परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय का नाम अंकित करना अनिवार्य है।

2. अपूर्ण/रोकागया परीक्षाफल (Incomplete/Result Detained)

जिन परीक्षार्थियों के अंकपत्र में किसी प्रश्नपत्र में अंको के स्थान पर 'IN' (Incomplete) अंकित हो अथवा परीक्षाफल में 'RD' व 'AA' अंकित हो और उन्होंने उस प्रश्नपत्र की परीक्षाएं दी हो, वे अपने प्रार्थनापत्र सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराकर जाँचपत्र की प्रति/पूर्व कक्षा की अंकतालिका की प्रति अपने प्रार्थनापत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

3. अस्थाई प्रमाण पत्र (Provisional Certificate)

अस्थाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सभी सूचनाएं अंकित कर, यदि स्नातक परीक्षा हेतु अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त करना है तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं की अंकतालिकाएं, यदि परास्नातक परीक्षा हेतु अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त करना है तो पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध परीक्षाओं की अंकतालिकायें एवं विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर पर रू0 300/– जमा कर शुल्क की रसीद संलग्न करें। वर्ष 2005 एवं इसके पश्चात की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अस्थाई प्रमाणपत्र (Provisional Certificate) हेतु आनलाइन आवेदन भी कर सकते है। विश्वविद्यालय की बेवसाइट "www.kanpuruniversity.org" के होम पेज पर बने लिंक Online Application for Provisional Certificate में उपलब्ध सूचनाओं एवं निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

29.9.2015 24/9/15

4. <u>उपाधि (Degree Certificate)</u>

उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सभी सूचनाएं अंकित कर, यदि स्नातक परीक्षा हेतु उपाधि प्राप्त करना है तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं की अंकतालिकाओं तथा यदि परास्नातक परीक्षा हेतु उपाधि प्राप्त करना है तो पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध परीक्षाओं की अंकतालिकाओं एवं विश्वविद्यालय के कैश काउन्टर पर रू0 800/– जमा कर शुल्क की रसीद संलग्न करें। वर्ष 2005 एवं उसके पश्चात के वर्षो में उत्तीर्ण परीक्षार्थी उपाधि (Degree) प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय की बेवसाइट "www.kanpuruniversity.org" के होम पेज पर बने लिंक "Online Application for Degree Certificate" में उपलब्ध सूचनाओं एवं निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

5. <u>नामांकन संख्या (Enrolment No.)</u>

(अ) नामांकन संख्या की जानकारी करने हेतु रू0 20/– की शुल्क रसीद एवं इस विश्वविद्यालय की प्रथम परीक्षा जिसमें सम्मिलित हुए हो, की अंकतालिका की प्रति संलग्न कर आवेदन करें।

(ब) यदि छात्र का नामांकन (Enrolment) नहीं हुआ है तो नया नामांकन कराने हेतु रू0 100/– शुल्क रसीद के साथ ही हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक/परास्नातक जैसी भी स्थिति हो, की प्रथम वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करें। संस्थागत छात्र अपने आवेदन सम्बन्धित महाविद्यालय से अग्रसारित करा कर प्रस्तुत करें।

6. <u>प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)</u>

प्रव्रजन प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु नामांकन संख्या, इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण सभी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की छायाप्रतियाँ तथा रू0 300/– की शुल्क रसीद संलग्न कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे।

यदि छात्र ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू.पी. बोर्ड एवं स्नातक की परीक्षा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से उत्तीर्ण नहीं किया है तो सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

7. विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि निर्गत किए जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन अंकपत्रों में नहीं किया जाएगा।
8. उपरोक्त समस्त कार्यो हेतु अभ्यर्थी अपने प्रार्थनापत्र सूचना कक्ष के बगल की खिड़की नं0–1 पर जमा करेंगे। रिकार्ड विभाग में सीधे कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जायगा और न ही रिकार्ड विभाग द्वारा प्राप्त किया जायगा।
9. उपाधि निर्मित कराने हेतु समस्त अंकतालिकाओं का सत्यापन अतिगोपनीय विभाग (मूल्यांकन भवन) से कराना होगा।
10. अंकपत्रों के सत्यापन हेतु सहायक कुलसचिव (अतिगोपनीय) अथवा सम्बन्धित अधीक्षक से सम्पर्क किया जा सकता है।
11. संस्थागत परीक्षा की मूल अंकतालिकायें सम्बन्धित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों को प्रेषित की जाएगी जिनका वितरण महाविद्यालय के द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षा से सम्बन्धित अंकपत्र साधारण डाक से अभ्यर्थी के पते पर प्रेषित किए जाते है।

12. वर्ष 2013–14 से स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने प्रव्रजन पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। विश्वविद्यालय की बेवसाइट "www.kanpuruniversity.org" के होम पेज पर बने लिंक Online Application for Migration Certificate में उपलब्ध सूचनाओं एवं निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

13. **<u>लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन एवं परिनिरीक्षण (Scrutiny)</u>**

लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन एवं परिनिरीक्षण हेतु ऑनलाईन आवेदन, परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक माह के अन्दर करना होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट "www.kanpuruniversity.org" के होम पेज पर बने लिंक Online Application for Inspection of Answer Books Scrutiny पर उपलब्ध सूचनाओं एवं निर्देशों के अनुसार उत्तर पुस्तिका अवलोकन के उपरान्त मूल्यांकन से छूटे हुए प्रश्नों तथा अंको के योग में त्रुटि सम्बन्धी आपत्तियों के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय में एक सप्ताह के अन्दर आवेदन किया जा सकता है। उक्त हेतु प्रतिप्रश्नपत्र निर्धारित शुल्क रू0 200/– देय होगा।

14. **<u>Transcript</u>**

ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी सम्बन्धित परीक्षा के अंकपत्रों की छायाप्रतियाँ एवं रू0 700/– की शुल्क रसीद अथवा वित्तअधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के नाम निर्धारित शुल्क रू0 700/– का बैक ड्राफ्ट संलग्न कर परीक्षा नियत्रंक को सम्बोधित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे।

15. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रार्थनापत्रों का निस्तारण 15 दिवसों के अन्तर्गत किया जाएगा।

16. कैश काउन्टर में निर्धारित शुल्क जमा किए जाने पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रारूप पर आवेदन करने के साथ ही शुल्क रसीद की मूलप्रति अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें तथा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे मांगे जाने पर प्रस्तुत करें।

17. वार्षिक परीक्षा की किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करके सीधे अनुत्तीर्ण कक्षा की परीक्षा में दो वर्षो के अन्तर्गत भूतपूर्व छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकता है।

18. स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम सामान्यतया क्रमशः 07 वर्ष और 05 वर्ष की अवधि में पूर्ण किये जा सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कोर्स पूर्ण होने की अधिकतम अवधि तत्सम्बन्धित अध्यादेश के अनुरूप होगी।

19. उक्त कार्यो से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र/आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा नियंत्रक को सम्बोधित किए जायेंगे। साथ ही प्रार्थनापत्र में अपना अथवा अभिभावक का मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करें, जिससे कि कोई आपत्ति होने की दशा में अभ्यर्थी को अवगत कराया जा सके।

20. उक्त सूचनाएं छात्र/छात्राओं की सामान्य जानकारी के लिए है। अन्तिम कार्यवाही उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 व विश्वविद्यालय के परिनियमों (Statutes), अध्यादेशों (Ordinances) व विनियमों (Regulations) के आलोक में सम्पन्न की जाएगी।

29.9.2015 29/9/15

परीक्षा नियंत्रक

Hon'ble V.C. Sir

As per discussion the above mentioned general information regarding with the students are to be uploaded in the university site.

If pleased, would like to approve the proposed draft.

28/9/15
COE

29/9/15